दिनांक 23 नवंबर 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवकाश का फायदा उठाकर कर रहा था अवैध निर्माण , निगम प्रशासन ने की कार्रवाई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सुपेला चौक के पास गुरुद्वारा रोड के बाजू में मोहम्मद वसीम कुरैशी द्वारा अवैध रूप से व्यवसाय करने के उद्देश्य से दुकान का निर्माण किया जा रहा था! जिसे जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी की टीम ने तोड़ने की कार्रवाई की और दो हाईवा मलबा को जप्त किया! अवैध निर्माण करता द्वारा 40*10 फीट की भूमि पर स्थायी दुकान के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा था! जिस पर आज जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने करवाई की! उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध निर्माण/अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जोन आयुक्तों को दिए हैं! इसी तारतम्य में इस प्रकार के निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है! अवैध निर्माण पर निगम द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की जाती रही है! अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर निगम प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से एक्शन लिया जा रहा है! ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लग सके! आज की कार्रवाई में अवैध निर्माण को तोड़ने के पश्चात शेष बचे हुए निर्माण एवं बचे हुए मलबा को मंगलवार तक हटाने के लिए निर्माणकर्ता से सहमति पत्र लेकर उसे 1 दिन की मोहलत दी गई है और मंगलवार को पूर्ण रूप से हटाने कहा गया है! जोन के सहायक राजस्व अधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी दो बार कार्य को रुकवाने मौके पर पहुंचकर निर्माणकर्ता को समझाइश दी गई थी और कार्य रुकवाया गया था परंतु त्योहारी अवकाश एवं शासकीय अवकाश का फायदा उठाते हुए निर्माणकर्ता ने कार्य को जारी रखा! सूचना मिलने पर आज निगम की टीम द्वारा कार्रवाई की गई! आज की कार्रवाई में सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे , जोन के स्वच्छता अधिकारी अंकित सक्सेना एवं निगम कर्मचारी राजेश गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे!

जनसंपर्क अधिकारी